



फर्द अहकाम

शहीदा कृष्णा बनाम नवजीला कोटपूतली 9 3-5

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड
केस संख्या 14 / 2023 पुनर्विलोचन 48

सो	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण
	13/9/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर <u>अभय</u> से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>24.10.23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>
25/10/23		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य मुक्तकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते <u>24.10.23</u> दिनांक <u>24.10.23</u> को पेश हो।</p>
31/12/24		<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित / अतिरिक्त आज अवकाश / दौरे / गिरफ्तार में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>6/3/24</u> को पेश हो।</p>
6/3/24		<p style="text-align: center;">रीडर</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्विक या उनके अधिनियम उपस्थित नहीं हैं। प्रमाण का रिकॉर्ड जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह मुलखिद जापद अधिनियम-1947 के तलाकी कीटाकी अधिनियम पर केका जादिए करके हुए आर्जन पर पत्रा जिया है लेखित वदत के तलाकी कीटाकी अधिनियम का स्थानांतरण होतें से यह जापद सारही प्रकाश हीन होगा है।</p> <p>उक्त यह पुनर्विलोचन जापद अधिनियम न्यायालय के तलाकी कीटाकी अधिनियम का स्थानांतरण होने से सारही प्रकाश हीन होतें पर उपरिज जिया जातें हैं अधिनियम न्यायालय के निर्देश प्रति मिजवादी जापद पत्रावली केतक जापद सारही सारही</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>